


कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, रोहतक

क्रमांक स्था-5-95/ 852-882

दिनांक : 28/11/95

विजया हाई स्कूल, बहादुरगढ़ रोहतक को कक्षा छठी से आठवीं तक माध्यमिक विभाग 1.4.95 से स्थाई मान्यता निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है :

- 1- विद्यालय के प्रबन्धक सरकार से अनुदान की मांग नहीं करेंगे और अपने साधनों से विद्यालय चलायेंगे ।
- 2- विद्यालय विभाग द्वारा समय-समय पर दी गई दिशा-निर्देशों की पालना करेगा ।
- 3- विद्यालय एजुकेशन से कोड की धारा 214 से 237 की पालना करेगा ।
- 4- विद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति, विभागीय नियमानुसार की जावे व नियुक्तियां करते समय आरक्षण नीति का ध्यान रखेंगे ।



Chairman


Vijaya Educational Society  
Bahadurgarh-124507.(Hr.)


निर्मल लाठर

जिला शिक्षा अधिकारी,  
रोहतक ।

क्रमांक सम दिनांक

- 1- निदेशक, मैकेन्डरी शिक्षा, हरियाणा चण्डीगढ़ ।
- 2- सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी ।
- 3- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, हरियाणा राज्य
- 4- समस्त उपमंडल शिक्षा अधिकारी, जिला रोहतक ।
- 5- मुख्याध्यापिका, विजया हाई स्कूल, बहादुरगढ़ रोहतक ।
- 6- सचिव, विजया एजुकेशनल सोसायटी, म.नं. 10, संत कालोनी, बहादुरगढ़ रोहतक ।

  
Principal  
Vijaya Sr. Sec. School  
Bahadurgarh (Jhajjar)  
School Code - 40384  
Affiliation No. - 530391

  
जिला शिक्षा अधिकारी,  
रोहतक ।